Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 22-08-2005

Participants : Khanna Shri Avinash Rai

>

Title : Reported death sentence awarded to an Indian in Pakistan.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें हमारे देश के ऊपर भी कुछ अटैक किया गया है। अमृतसर के भिखी पिंड के श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। यह एक रॉंग आइडेंटिफीकेशन का केस है। पंजाब के सरबजीत सिंह को मंजीत सिंह के नाम से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। आज सारे अखबारों में छपा है कि उसके परिवार में दो बेटियां हैं। एक बेटी ने तो अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा है। वह 15 सालों से जेल में सड़ रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस आदमी की फांसी की सजा को कम करने के लिए सरकार दखलंदाजी करे। श्री सरबजीत सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी मदद करते हैं। आप हमारी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. अजनाला जी आप बैठ जाइए। आपका नोटिस आया है। नोटिस देने का समय सुबह 9.30 बजे है। आपने 11.45 बजे नोटिस दिया है। आपने दो घंटे पन्द्रह मिनट देर से नोटिस दिया है, but, as it is an important matter, I will allow you to raise it. Please do not think that you can do anything you like. Rules have been framed for your convenience.

Dr. Rattan Singh Ajnala, just associate yourself with this issue.